[2022] 5 एस. सी. आर. 893

/

मेसर्स मुंजाल शोवा लिमिटेड बनाम

ग्राहक और केंद्रीय आयोग (दिल्ली-IV)

(सिविल अपील सं. 2010 की 2576) 23 सितंबर, 2022

/

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-जाली/नकली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त सीमा शुल्क के भुगतान से छूट-धोखाधड़ी का ज्ञान-जुर्माना लगाने के साथ-साथ शुल्क देयता पर प्रभाव-सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश जो अपीलकर्ता (ओं) से सीमा शुल्क की मांग की पुष्टि करता है-खरीदार (ओं)-अपील, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया-आयोजित किया गयाःजिस क्षण अपीलार्थी को नकली डी. ई. पी. बी. लाइसेंसों के बारे अंतर्गत सूचित किया गया/किया गया, उन्होंने तुरंत सीमा शुल्क का भुगतान किया, आगे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए विरोध हो सकता है-तथ्य यह है कि डी. ई. पी. बी. लाइसेंस/स्क्रिप्स, जिन पर अपीलार्थी द्वारा छूट का लाभ उठाया गया था, जाली पाए गए थे, इसलिए, एक शुल्क दायित्व होगा और विभाग द्वारा, साथ ही न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी सही पुष्टि की गई थी-इस सिद्धांत पर कि धोखाधड़ी सब कुछ दूषित करती है और ऐसे जाली/नकली डी. ई. पी. बी. लाइसेंस/स्क्रिप्स शुरू से ही अमान्य हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि विभाग ने सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने अंतर्गत अवैध रूप से काम किया-विभाग को लागू करने अंतर्गत न्यायसंगत।

/

/

/

/

/

मेसर्स मुंजाल शोवा लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (दिल्ली (IV) फरीदाबाद)

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय

/

893 ए.

894 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

2008 के सी. यू. एस. ए. पी. संख्या 27 में, सीमा शुल्क आयुक्त

(निवारक) बनाम आफ्लोट टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

और ओआरएस। (2009) 11 एससीसी 18:[2009] 2 एससीआर 490 -

संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

/

[2009] 2 एससीआर **490**

संदर्भित

पैरा **5.1**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2010 की सिविल अपील सं. 2576।

2008 के 27 नंबर में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.09.2008 के निर्णय और आदेश से।सह

/

2011 की सिविल अपील सं. 5608।

सोमेश अरोड़ा, पी. के. रवि, चिंथ कुमार, अभिषेक जैन, राजेश कुमार, राहुल कृष्ण, सत्यजीत ए. देसाई, सत्य काम शर्मा, अभिनव के. मुत्यालवार, सुश्री अनघा एस. देसाई, सिद्धार्थ गौतम, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., एम. के. मारोरिया, पी. वी. योगेश्वरन, सिद्धार्थ सिन्हा, निखिल मजीठिया, तथागट शर्मा, रामम यादव, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. 2008 के 27 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-निर्धारिती-मेसर्स मुंजाल शोवा लिमिटेड द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत दायर की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, ब्याज के साथ सीमा शुल्क की मांग की पुष्टि करते हुए, मूल निर्धारिती-मेसर्स मुंजाल शोवा लिमिटेड ने 2010 की वर्तमान दीवानी अपील संख्या 2576 को प्राथमिकता दी है।

/

/

1.1 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में 2011 के सी. यू. एस. ए. पी. संख्या 1 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, जिसके द्वारा डिवीजन ए

/

895

मेसर्स मुंजाल शोवा लिमिटेड बनामग्राहक और केंद्रीय आयुक्त (दिल्ली-4) [एम. आर. शाह, जे.] ए.

उच्च न्यायालय की पीठ ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और 2006 की सीमा शुल्क अपील संख्या 576 में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने ब्याज के साथ सीमा शुल्क की मांग की पुष्टि की है, मूल निर्धारिती-मेसर्स फ्रेंड्स ट्रेडिंग कंपनी ने 2011 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 5608 दायर की है।

2010 की सिविल अपील सं**. 2576**

/

2. कि इसमें अपीलकर्ता-मैसर्स मुंजाल शोवा लिमिटेड ने बॉम्बे कस्टम हाउस द्वारा जारी ट्रांसफर रिलीज एडवाइस (इसके बाद "टीआरए" के रूप में संदर्भित) का उपयोग करके आईसीडी, बल्लभगढ़ के माध्यम से खेपों का आयात किया।सत्यापन पर, यह पाया गया कि जिन डी. ई. पी. बी. लाइसेंसधारियों के आधार पर टी. आर. ए. जारी किए गए थे, वे वास्तविक नहीं थे।मई/जून, 2003 में माल को मंजूरी दी गई और दिनांक 1 के पत्र द्वारा, सहायक आयुक्त, आई. सी. डी., फरीदाबाद ने अपीलार्थी को सूचित किया कि डी. ई. पी. बी. स्क्रिप्स के खिलाफ जारी किए गए टी. आर. ए. जाली थे और डी. ई. पी. बी. भी जाली थे

और इसलिए, अपीलार्थी को डी. ई. पी. बी. लाभ के बदले ब्याज के साथ शुल्क जमा करने की आवश्यकता थी।

/

/

2.1 अपीलार्थी ने दिनांक 1 के पत्र द्वारा विभाग को सूचित किया कि वह जालसाजी के बारे में जानकर आश्चर्यचकित है और हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए कदम उठा रहा है और भुगतान करने के लिए समय मांगा है।अपीलार्थी ने विरोध अंतर्गत 12.08.2003 पर शुल्क की राशि जमा की।जाँच पूरा होने के बाद, अपीलार्थी को दिनांक 03.10.2006 का कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सलाह जारी करने में डेबिट के खिलाफ छूट की मांग करके शुल्क की चोरी का आरोप लगाया गया था, जो जाली थे और जो वास्तव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे।अपीलार्थी ने सीमा के आधार पर और साथ ही इस आधार पर कारण दर्शाएँ नोटिस को चुनौती दी कि हालांकि डी. ई. पी. बी. स्क्रिप जाली थे, लेकिन सीमा शुल्क से बचने का कोई इरादा नहीं था।

/

/

2.2 सीमा शुल्क आयुक्त ने दिनांक 1 का आदेश पारित करते हुए कहा कि डी. ई. पी. बी. स्क्रिप्स जाली थे और इस प्रकार शुरुआत से ही अमान्य थे और इसलिए, ली गई छूट अस्वीकार्य थी; माल जब्त करने के लिए उत्तरदायी था और अपीलकर्ता ब्याज और जुर्माने के लिए उत्तरदायी था।आयुक्त ने कहा कि आयातक (अपीलकर्ता), जिसने जाली डी. ई. पी. बी. स्क्रिप्स के आधार पर लाभ का दावा किया था, अपने पूर्ववर्ती के बराबर है और इसलिए जाली दस्तावेजों का लाभ नहीं ले सकता है।सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का विषय था।न्यायाधिकरण ने कर्तव्य के दायित्व के मुद्दे पर अपीलार्थी की याचिका को खारिज कर दिया लेकिन

/

/

जुर्माने के मुद्दे पर मूल प्राधिकारी के समक्ष मामला।यह बताया गया है कि रिमांड पर जुर्माने के संबंध में मुद्दा अभी तक लंबित है।हालाँकि, न्यायाधिकरण ने कर्तव्य देयता की पुष्टि की।

2.3 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील करना पसंद किया। उच्च न्यायालय के समक्ष, मुख्य रूप से अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जारी किया गया कारण दर्शाओ नोटिस सीमा की अवधि से परे और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में था और जब "धोखाधड़ी" और "शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से" के तत्व अनुपस्थित हैं, तो विभाग द्वारा सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान नहीं किया जा सकता था।

/

/

2.4 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा कर्तव्य की मांग की पुष्टि करने वाले आदेश की पुष्टि करने वाली उक्त अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि "धोखाधड़ी" सब कुछ दूषित करती है और इसलिए, विभाग को सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने में उचित ठहराया गया था।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश 2010 की वर्तमान दीवानी अपील संख्या 2576 का विषय है।

/

2011 की सिविल अपील सं**. 5608**

3. कि अपीलार्थी ने वस्तुओं का आयात किया और दिनांक 24.11.2000 पर प्रविष्टि-पत्र दाखिल किया।इसने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 07.04.1997 के अंतर्गत सीमा शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ उठाया।यह पाते हुए कि उक्त डी. ई. पी. बी. स्क्रिप पूर्ववर्ती द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, अपीलार्थी द्वारा प्राप्त स्क्रिप को शुरू से ही अमान्य माना गया था।तदनुसार, अपीलार्थी के खिलाफ शुल्क की मांग दिनांक 04.10.2005 के मूल आदेश के माध्यम से उठाई गई थी।उक्त आदेश की अपील में पुष्टि की गई थी और न्यायाधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आगे की अपील को आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

/

/

3.1 शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपील को खारिज करते समय, उच्च न्यायालय ने सीयूएसएपी में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया है

/

मेसर्स मुंजाल शोवा लिमिटेड बनाम के मामले में **2008** का सं**. 27**। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त **(**दिल्ली **(IV)** फरीदाबाद**)**।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री विक्रमजीत बनर्जी को सुना है।

/

897

मेसर्स मुंजाल शोवा लिमिटेड बनामग्राहक और केंद्रीय आयुक्त (दिल्ली-4) [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

5. निर्धारिती की ओर से यह मामला था/है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग को सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करने में उचित नहीं ठहराया गया था।

5.1 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

सीमा शुल्क आयुक्त **(**निवारक**)** बनाम आफ्लोट टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य**, (2009) 11** एस**.** सी**.** सी**. 18,** यह प्रस्तुत किया जाता है कि

/

धोखाधड़ी के मामले में भी इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित, एक जांच की आवश्यकता थी कि क्या अपीलार्थी-खरीदारों को पता था कि डी. ई. पी. बी. स्क्रिप जाली थे या नकली।

6. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से अपीलार्थी (ओं) द्वारा खरीदे गए डी. ई. पी. बी. लाइसेंस/स्क्रिप, जिनमें से छूट का लाभ लिया गया था, जाली और नकली पाए गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, अपीलकर्ता (ओं) ऐसे जाली और नकली डी. ई. पी. बी. लाइसेंसों/स्क्रिप्स के लाभार्थी होने के नाते सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जिसका छूट लाभ ऐसे डी. ई. पी. बी. लाइसेंसों/स्क्रिप्स के खिलाफ लिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से देखा गया है कि धोखाधड़ी हर चीज को दूषित करती है और इसलिए, इस तरह के जाली/नकली डी. ई. पी. बी. लाइसेंस/स्क्रिप शुरू से ही अमान्य हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सीमा शुल्क की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है।7. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

/

/

/

8. न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश से और यहां तक कि विभाग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से भी यह पाया गया है कि डी. ई. पी. बी. लाइसेंस/स्क्रिप्स, जिन पर अपीलकर्ता (ओं) द्वारा छूट का लाभ उठाया गया था (जाली/नकली डी. ई. पी. बी. लाइसेंस/स्क्रिप्स के खरीदारों के रूप में) जाली पाए गए थे और यह पाया गया कि डी. ई. पी. बी. लाइसेंस/स्क्रिप्स बिल्कुल भी जारी नहीं किए गए थे।धोखाधड़ी की गई और ऐसे जाली/नकली डी. ई. पी. बी. लाइसेंसों/स्क्रिप्स पर छूट का लाभ उठाया गया।9. मामले के उस दृष्टिकोण से और इस सिद्धांत पर कि धोखाधड़ी से सब कुछ दूषित हो जाता है और इस तरह के जाली/नकली डी. ई. पी. बी. लाइसेंस/स्क्रिप शुरू से ही अमान्य हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि विभाग ने सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने में अवैध रूप से काम किया।तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग ने सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करना पूरी तरह से उचित था।

/

/

10. यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस क्षण अपीलार्थी को नकली डी. ई. पी. बी. लाइसेंसों के बारे में सूचित किया गया था/किया गया था, तुरंत वे

/

सीमा शुल्क का भुगतान, विरोध के अंतर्गत हो सकता है।आगे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए विरोध के अंतर्गत सीमा शुल्क का भुगतान किया गया था।चाहे जो भी हो, तथ्य यह है कि जिन डी. ई. पी. बी. अनुज्ञापत्रों/लेखों पर अपीलार्थी द्वारा छूट का लाभ उठाया गया था, वे जाली पाए गए थे और इसलिए, एक शुल्क दायित्व होगा और विभाग द्वारा इसकी सही पुष्टि की गई है, जिसकी न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी सही पुष्टि की गई है।

/

11. अब, जहाँ तक खरीदार (ओं) की ओर से प्रस्तुत करने की बात है-अपीलार्थी (ओं) आफ्लोट के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (ऊपर) का संबंध है,

क्या खरीदारों को धोखाधड़ी या जाली/नकली डी. ई. पी. बी. लाइसेंसों/स्क्रिप्स के बारे में जानकारी थी और क्या अपीलकर्ता-खरीदारों को डी. ई. पी. बी. लाइसेंसों/स्क्रिप्स की वास्तविकता के बारे में पता लगाने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी थी या नहीं, जिसका जुर्माना लगाने पर असर पड़ेगा, और इसका शुल्क देयता से कोई लेना-देना नहीं है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में जहां तक दंड की कार्यवाही का संबंध है, मामला न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेज दिया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह लंबित है।

/

/

12. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, दोनों अपील विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा पारित रिमांड आदेश के अनुसार दंड की कार्यवाही लंबित होने की सूचना है, इसलिए हम न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को रिमांड पर दंड की कार्यवाही को जल्द से जल्द, अधिमानतः आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हैं।

/

इसके साथ ही दोनों याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

/

/